बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ९ सितम्बर, १९६६ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम "४" के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना ।

श्री मुंगेरी लाल—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के द्वादश सत्र (फरवरी-अप्रील, १९६६) के शेष ११७६ तारांकित प्रश्नों में से ८७ प्रश्नों के * लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ ।

---

*उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

दोषपूर्ण नोटिफिकेशन ।

२ । **श्री खुबलाल महतो**—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि कोशी जब १९१७ ई० में पूर्णियां और सहर्षा बोर्डर से हटकर पश्चिम चली गई तब १९२६ ई० से १९३१ ई० के बीच कोशी दियारा का सर्वे हुआ और उसके बाद कोशी धार उधर नहीं गई है;

(२) क्या यह बात सही है कि कोशी लैन्ड रेस्टोरेशन ऐक्ट जो बना है उसका मंशा है कि १९३९ ई० से १९५० ई० के अन्दर जो जमीन कोशी उप्लव के चलते जमींदारों ने नीलाम करा लिया उसे किसानों को वापस करा दिया जाग;

(३) क्या यह बात सही है कि कोशी लैन्ड रेस्टोरेशन ऐक्ट को लागू करने के लिये जो नोटिफिकेशन हुआ है वह दोषपूर्ण है जिसके चलते कोशी दियारा का सर्वे जहां हुआ है वहां भी वहां कानून लागू समझा जाता है जिसकी वजह से उक्त कानून की जो मंशा है उसकी अवहेलना हुई है और वहां की जनता के साथ अन्याय हुआ है ;

बंगला का वितरण

१२२४। श्री जनार्दन तिवारी—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) पटना स्थित ऑफिसर्स क्वार्टर्स में आफिसरों से क्या रेन्ट लिया जाता है;

(२) ऑफिसर्स क्वार्टर्स में रहनेवाले कौन-कौन से आफिसर के यहाँ रेन्ट बाकी पड़ा है और उन ऑफिसरों के नाम क्या हैं;

(३) आफिसरों को अपना आफिसर बंगला नियमानुकूल कबतक मिल जाता है ?

श्री रामलखन सिंह यादव—(१) पटना स्थित आफिसर्स क्वार्टर्स में रहनेवाले आफिसरों से नियमानुकूल उनके वेतन के १० प्रतिशत अथवा मानक किराया इनमें से जो कम होता है लिया जाता है।

(२) साधारणतः आफिसरों के वेतन-विपत्र से ही मकान का किराया काट लिया जाता है। जो आफिसर किराया नहीं देते हैं उनके विरुद्ध किराया वसूल करने के लिये उचित कार्रवाई की जाती है।

(३) यह कहना संभव नहीं है कि किस पदाधिकारी को कब मकान आवंटन होगा क्योंकि आफिसरों का नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज करने और उनकी बारी आने के बाद आवास रिक्त होने पर ही आवंटन के लिये विचार किया जाता है।

पुल के सम्बन्ध में।

१२२५। श्री ब्रजमोहन सिंह—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि जी० टी० रोड पर औरंगाबाद के पच्छिम बरौन नदी पर तथा पूरब टेकारी नदी पर क्रमशः जोगिया और औरा ग्रामों में छोटे-छोटे पुल बने हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि सोन ब्रीज के खुलने पर इन पुलों से गाड़ियों का पार करना बड़ा कठिन हो रहा है और पुल कमजोर पड़ रहे हैं, यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री रामलखन सिंह यादव—उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) प्रथम खंड का उत्तर नकारात्मक है। बटाने कॉजवे के स्थान पर एक उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इसके निर्माण के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। टेकारी नदी पर तत्काल उच्चस्तरीय पुल बनाने की कोई योजना नहीं है।